



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpeefdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-48ए0/2015-641 दिनांक : 13.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी
प्रमंडल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत भू संरक्षण एवं वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण एवं अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 43.296 लाख (तींतालीस लाख उन्तीस हजार छः सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- वन विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 04/यो0बजट-70/2015-55/स्वी0 व0 प0 दिनांक-20.01.2016 एवं स्वीकृतिदेश संख्या 04/यो0बजट-70/2015-61/स्वी0 व0 प0 दिनांक-07.03.2017 तथा वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-70/2015-39/आ0 व0प0 दिनांक 12.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01 वानिकी, लघु शीर्ष-- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल **रु0 43.296 लाख (तींतालीस लाख उन्तीस हजार छः सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
रजदूरी	19S240601789580103	36.695
अपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	6.601
कुल :		43.296

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1(क) से 1(ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को समय-समय पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क) से 2(ग) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601789580103 तथा पी0 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची,

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-48ए0/2015- 641 दिनांक- 13.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/प्रादेशिक अंचल, बोकारो/प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-48ए0/2015- 641 दिनांक- 13.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/ कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/ कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक 01/यो0बजट-48ए0/2015- 641 दिनांक- 13.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनु०-१ (क)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			10152.38	2182.40	12334.78
i	ii	iii	iv	v	vi
1	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	60	6.091	1.309	7.400
2	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	30	3.046	0.655	3.701
कुल योग :-		90	9.137	1.964	11.101

अनु०-१ (ख)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			13370.98	2402.50	15773.48
i	ii	iii	iv	v	vi
1	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	30	4.011	0.721	4.732
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	60	8.023	1.442	9.465
3	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	35	4.679	0.841	5.520
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	40	5.348	0.961	6.309
कुल योग :-		165	22.061	3.965	26.026

अनु०-१ (ग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			7853.38	961.00	8814.38
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	40	3.141	0.384	3.525
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	30	2.356	0.288	2.644
कुल योग :-		70	5.497	0.672	6.169
सकल योग :-		325	36.695	6.601	43.296

अपर प्रधान मंत्री वन संरक्षक, विकास
प्रमंडल, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोटनी एवं निकौनी	हे०	23.00	5287.70	0.00	5287.70	
2	सामग्री (ज्वरक, खद, रत्नायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	हे०	12.16	2795.58	0.00	2795.58	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)						
4	गड्डा घेरान की मरम्मत	वेन	1.00	229.90	0.00	229.90	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	689.70	290.00	979.70	
6	सिगलिंग एवं प्रुनिंग	हे०	5.00	1149.50	0.00	1149.50	
योग :-			44.16	10152.38	2182.40	12334.78	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण शीघ्र बढ़ने वाले / तसर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

मजदूरी दर : 229.90 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

क्रम	कार्य का विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35.00	8046.50	0.00	8046.50	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनाशक आदि)	हे०	0.00	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की सुरक्षा						
3.1	30 हे० तक	हे०	12.16	2795.58		2795.58	
3.2	30 हे० से 60 हे० तक						
4	धरान मरम्मत	घेन	6.00	1379.40	0.00	1379.40	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	5.00	1149.50	440.00	1589.50	
योग :-			58.16	13370.98	2402.50	15773.48	

अपर प्रधान मुख्य वन सारक्षक, विकास,
जिलाखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर	229.90	प्रति मास्य दिवस
-----------	--------	------------------

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पन्न कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोडनी निकाली	है०	14.00	3218.60	0.00	3218.60	
3	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / उरिया, जै०पेक किटनाशक आदि)	है०	0.00	0.00	785.00	785.00	
4	पौधों की सुरक्षा			0.00			
4.1	30 है० तक	है०	12.16	2795.58		2795.58	
4.2	30 है० से 60 है० तक						
5	पेरान मरम्मत	है०	6.00	1379.40	0.00	1379.40	
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	है०	2.00	459.80	176.00	635.80	
योग :			34.16	7853.38	961.00	8814.38	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकारा,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चलू दिनांक 2017-18 में नया हेतु निम्नलिखित द्वारा एक बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-48a/2015/641


दिनांक - 13-May-2

क्रमांक	विषय कोड	एकलक्ष न	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वारिडी तथा वन्य प्राणी 01 - वारिडी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रयत्न योजना 58 - अनुसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं संरक्षण 01 - वन्य एवं वन 03 - मजदूरी State Scheme Central Scheme	31127	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV DFO	609,400.00 रुपये छ लाख बी हजार एक सें
2	S 19 240601789580103 2406 - वारिडी तथा वन्य प्राणी 01 - वारिडी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रयत्न योजना 58 - अनुसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं संरक्षण 01 - वन्य एवं वन 03 - मजदूरी State Scheme Central Scheme	31129	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FORES OFFICER	304,600.00 रुपये तीन लाख बी हजार छ सें
3	S 19 240601789580103 2406 - वारिडी तथा वन्य प्राणी 01 - वारिडी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रयत्न योजना 58 - अनुसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं संरक्षण 01 - वन्य एवं वन 03 - मजदूरी State Scheme Central Scheme	31132	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	401,100.00 रुपये चार लाख एक हजार एक सें
				1,314,800.00


योग:




क्रमिक योग.

रुपये चार लाख बी हजार छ सें


SHRI SAKAM SINGH

ADDL DFO/ANUSAHAND


BRANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वार्षिक तथा अन्य प्राप्ति 01 - वार्षिक 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष शरक योजना 58 - अनुसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं सु-संरक्षण 01 - वन पर भू-संरक्षण 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	31134	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD D.F.O. SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	802,300.00 रुपये आठ लाख दो हजार तीन सौ 
5	S 19 240601789580103 2406 - वार्षिक तथा अन्य प्राप्ति 01 - वार्षिक 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष शरक योजना 58 - अनुसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं सु-संरक्षण 01 - वन पर भू-संरक्षण 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	31135	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	467,900.00 रुपये चार लाख छहसठ हजार नौ सौ 
6	S 19 240601789580103 2406 - वार्षिक तथा अन्य प्राप्ति 01 - वार्षिक 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष शरक योजना 58 - अनुसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं सु-संरक्षण 01 - वन पर भू-संरक्षण 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	31137	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	848,900.00 रुपये आठ लाख अष्टसहस्र हजार नौ सौ 

योग:

2,119,100.00

अतिरिक्त योग:

रुपये चौरस लाख तीस हजार दो सौ

3,433,900.00

SHR. SATNAM SINGH

ACCOMPLISHED BY

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580103 2406 - वार्षिक तथा अन्य पार्षा 01 - वार्षिक 789 - अनुमानित वार्षिक के लिए विशेष पत्रक योजना 56 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं संरक्षण 01 - केवल पत्रक 03 - सहायता	31138	KDMFOR02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	235,600.00 रुपये दो लाख फीस हजार नौ सौ
State Scheme : Central Scheme :				
8	S 19 240601789580323 2406 - वार्षिक तथा अन्य पार्षा 01 - वार्षिक 789 - अनुमानित वार्षिक के लिए विशेष पत्रक योजना 56 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आयुर्ति एवं सहायता	31140	DGRFOREB8 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	130,900.00 रुपये एक लाख बीस हजार नौ सौ
State Scheme : Central Scheme :				
9	S 19 240601789580323 2406 - वार्षिक तथा अन्य पार्षा 01 - वार्षिक 789 - अनुमानित वार्षिक के लिए विशेष पत्रक योजना 56 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आयुर्ति एवं सहायता	31142	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	65,500.00 रुपये पचास हजार पांच सौ
State Scheme : Central Scheme :				

योग

432,000.00

क्रमिक योग

रुपये गारनेट्ट लाय ऐक्ट हजार नौ सौ

3,865,900.00

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI HEADQUARTERS

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
10	S 19 240601789580323 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - बागवानी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पट्टक योजना 58 - अनुसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं सु-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आयुर्वि एवं सामग्री	31143	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	72,100.00 रुपये दस हजार हजार एक सौ
	State Scheme Central Scheme			
11	S 19 240601789580323 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - बागवानी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पट्टक योजना 58 - अनुसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं सु-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आयुर्वि एवं सामग्री	31145	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	144,200.00 रुपये एक लाख चत्तरासी हजार दो सौ
	State Scheme Central Scheme			
12	S 19 240601789580323 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - बागवानी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पट्टक योजना 58 - अनुसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं सु-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आयुर्वि एवं सामग्री	31147	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHW	84,100.00 रुपये बीस हजार हजार एक सौ
	State Scheme Central Scheme			

योग

300,400.00

क्रमिक योग

रुपये इकतालीस लाख आठ हजार बीस सौ

4,166,300.00


SHR SATNAM SINGH

ADDI P&S DIV, GARHW


SHR

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789580323 2406 - वार्षिक तथा अन्य प्राणी 01 - वार्षिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पदक योजना 58 - अनुसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनरोपवन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आयुर्वि एवं गामगी	31149	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA. I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	134,500.00 रुपये एक लाख बीस हजार पाँच सौ
	State Scheme Central Scheme			
14	S 19 240601789580323 2406 - वार्षिक तथा अन्य प्राणी 01 - वार्षिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पदक योजना 58 - अनुसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनरोपवन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आयुर्वि एवं गामगी	31150	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	28,800.00 रुपये अठारह हजार आठ सौ
	State Scheme Central Scheme			

योग

163,300.00

क्रमिक योग.

रुपये तीसवालीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ

4,329,600.00


(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. DEPT. SECY (AUS) HANO

RANCHI